संख्या– 27/02/2006–एस.0 आर.0 एस.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली 110003।
दिनांक 07/08/2009

आदेश 03/2009

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन , प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 09.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के कियाकलापों के संबन्ध में सेवा कर रहा हो एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उतरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तराखंड राज्य के कियाकलापों के संबन्ध में यथास्थिति, 09.11.2000 से ही अनंतिम रूप से सेवा कर रहा हो, को उतरवर्ती उत्तराखंड राज्य यथास्थिति 09.11.2000 से सेवा के लिए अंतिम रूप से आवंटित समझा जाएगा :

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहॉ न्यायालय के द्वारा इस संबन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा :

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आवंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आवंटित नहीं समझा जाएगा ।

परंतु संबंधित सेवा/पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका मामला आबंटन के लिए लंबित है, जिनका अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001 एस.आर.एस. दिनांक 11.09.2001 के द्वारा उत्तराखंड राज्य को आबंटित नहीं किए गए हैं, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य को अंतिम रूप से आबंटित समझे जाएंगे जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता ।

यह अंतिम आबंटन राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 09.04.2009 को हुई 69वीं बैठक की संस्तुतियों पर आधारित है ।

(वि. पेद्दन्ना)
उप सचिव, भारत सरकार
उप सचिव/Deputy Secretary
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
भारत सरकार/Govt. of India

संलग्नकः–

1. अनुबन्ध (01 पेज में) उत्तरवर्ती उत्तराखंड राज्य को अंतिम रूप से आवंटित सिंचाई विभाग के 19 कार्मिकों (1 वरिष्ठ सहायक एवं 18 सहायक अभियन्ता (सिविल) की सूची ।

प्रतिलिपिः

1 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनउ ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
3. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनउ ।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
5. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, सातवां तल, विकास भवन, जनपथ लखनउ ।
6. सचिव, उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन विभाग, देहरादून ।

विभाग सिंचाई आवंटित राज्य उत्तराखण्ड

पदनाम वरिष्ठ सहायक
कुल पद 12
कुल आबंटित कार्मिक 12 (11 की अन्तिम आवंटन सूची दिनांक 11 मई, 2006 को जारी की गयी।)

कमांक	कार्मिकों का नाम	पदनाम	आवंटन का आधार
1	सुनील कुमार शर्मा	वरिष्ठ सहायक	विकल्प

पदनाम सहायक अभियन्ता (सिविल)
कुल पद 116
कुल आबंटित कार्मिक 93 (75 की अन्तिम आवंटन सूची दिनांक 11 मई, 2006 को जारी की गयी।)
कुल रिक्त पद 16 (05 रिक्त पद सहमति के आधार पर, 03 कार्मिकों श्री सुरेश चन्द्र गोयल एवं श्री हृदेश कुमार वर्मा की सेवा निवृत्ति 01 वर्ष से कम रहने एवं श्री मुराद गोला को अस्वस्थ्यता के आधार पर राज्य परामर्शीय समिति की बैठक दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को छूट प्रदान, 04 कार्मिकों नफिस अहमद खान सेवा निवृत्ति, विकासचन्द्र आर्या अस्वस्थ्यता के आधार पर, दिनेश कुमार त्रिपाठी तथा महेन्द्र सिंह को विकलांगता के आधार पर दिनांक 01 जुलाई, 2008 की राज्य परामर्शीय समिति की बैठक में उत्तराखण्ड जाने से छूट प्रदान, 04 सेवा निवृत्त कार्मिक – श्री ब्रज भूषण पाल शर्मा, श्री बुद्धिराम सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह व श्री योगेश कुमार श्रीवास्तव को दिनांक 09 अप्रैल, 2009 की राज्य परामर्शीय समिति की बैठक में उत्तराखण्ड जाने से छूट प्रदान)।
आवंटन के लिए शेष पद 7

कमांक	कार्मिकों का नाम	पदनाम	आवंटन का आधार
1	श्री निसार अहमद,	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
2	श्री अभिमन्यू तिवारी	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
3	श्री कोमल त्रिपाठी	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
4	श्री जवाहर लाल	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
5	श्री रईस अहमद	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
6	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
7	श्री बुलाकी राम जैन	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
8	श्री ओंकार नाथ उपाध्याय	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
9	श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव,	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
10	श्री दिक्षांत *	सहायक अभियन्ता (सिविल),	मूलनिवासी
11	श्री ब्रिजेश कुमार पोरवाल	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
12	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
13	श्री प्रमोद कुमार	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
14	श्री सुधांशु मनोहर सिंह	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
15	श्री शिव मूरत साहू	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
16	श्री लालमणि प्रसाद	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
17	श्री मोहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्
18	श्री रामफल अम्बेश	सहायक अभियन्ता (सिविल),	कनिष्ठतम्

* इस विभाग के पत्र संख्या 27/02/2008—एस.0 आर.0 एस.Vol.III दिनांक 10 दिसम्बर 2008 के आंशिक संशोधन के तहत ।

(वि० [illegible])
उप सचिव/Deputy Secretary
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
भारत सरकार/Govt. of India

संलग्नक से आदेश नं ...../2007
Annexure to order No...03../2009
दिनांक
Dated......07/08/2009